न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 65 / 2023

1 शेरसिंह
2 महेन्द्र सिंह पुत्रगण निहालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 मनीराम पत्र स्व. सीतला उर्फ सीताराम
2 बसन्ती देवी स्त्री
3 राकेश कुमार पुत्र
4 राजेश कुमार पुत्र
5 रेखा पुत्री
6 मुकेश पुत्री स्व. मातुराम जाति समस्त मेघवाल निवासीगण ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 बनारसी देवी पुत्री सीतला उर्फ सीताराम जाति समस्त मेघवाल निवासीगण ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 मुन्नी देवी पुत्री स्व. सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रावतावाला तन त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल निवासी पदमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
9 मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्रीमती सीता देवी पुत्री सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रावतावाला तन त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
10 सुशीला पुत्री स्व. सीमा देवी पुत्री स्व. सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रावतावाला तन त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
11 संतोष पुत्री स्व. सीमा देवी पुत्री स्व. सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रावतावाला तन त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 मिश्री स्त्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
13 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
14 उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
15 राजस्थान सरकार भूमिधार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी मनीराम वगै. बनाम मृ. निहालाराम वगै. मु.नं. 143/2013 दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई नि.

उपस्थिति :
1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुमेरसिंह सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांक:— 15/12/25

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 143/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 6 ने एक वाद घोषणात्मक खातेदारी,

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 497 गत हाल खसरा नम्बर 346, 350, 354, 355, 362 वाके ग्राम जसरापुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन गत खसरा नम्बर 497 रकबा 11 बीघा 2 बिश्वा में अपीलान्ट के पिता निहाला उर्फ निहालाराम का 1/2 हक हिस्सा थात था 1/2 हिस्सा गुड़दयाल का था। निहालाराम का देहान्त हो चुका है। निहालाराम के देहान्त के होने के बाद उसके 1/2 हक हिस्सा की जमीन संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर उत्तराधिकार में अपीलान्ट शेरसिंह व महेन्द्र को प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त जमीन में अपीलान्ट प्रत्येक का 1/4 हक हिस्सा हुआ। उक्त जमीन में गुड़दयाल का 1/2 हक हिस्सा था। गुडदयाल का देहान्त हो चुका है। गुड़दयाल के देहान्त होने के बाद उसके 1/2 हक हिस्सा की जमीन उत्तराधिकार में उसकी स्त्री बनारसी देवी को प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 6 का विवादित जमीन में कोई लेना देना नहीं है। निहालाराम के वारिस अपीलान्ट व गुड़दयाल की स्त्री बनारसी देवी के अलावा विवादित जमीन में किसी भी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं है। सभी जमाबन्दियों में निहालाराम व गुडदयाल एवं इनके वारिसान का ही नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय के समक्ष सीताराम के फर्जी वारिस बनकर दावा पेश किया है। उक्त सीताराम के मात्र दो पुत्र निहालाराम व गुडदयाल ही थे। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व डिक्री बिना किसी अधिकार के होने से खारिज होने योग्य है। उक्त बनारसी देवी स्त्री गुडदयाल अशिक्षित महिला थी। विचारण न्यायालय के समक्ष बनारसी देवी का इकबाली जवाब मिस रिप्रजेन्ट करके करवाया है। ठिकाना के समय से ही उक्त जमीन निहालाराम व गुडदयाल की रही है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण एवं अपीलान्ट के अलावा सभी व्यक्तियों ने दुरभि संधि से दावा पेश किया है तथा अपीलान्ट को पता नहीं चले इस कारण दावा में विभाजन की रिलिफ को विड्रा किया है। कानून से प्रतिदावा दावा की रिलिफ को विड्रा नही कर सकते। विचारण न्यायालय के समक्ष

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादीगण ने दावा के साथ पहचान से संबंधित दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज पेश किये है। वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने दावा को साबित नहीं किया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर नही दिया। अपीलान्ट को जवाबदेही व साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया। विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपीलान्ट की पीठ पीछे पारित की गई है। बनारसी स्त्री गुड़दयाल का हिस्सा गलत रूप से मिश्री ने क्रय किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वे सीतला उर्फ सीताराम के वारिस है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी सक्षम आधार व वैध दस्तावेज के दावा डिक्री करने में कानूनी गलती की है। जानकारी सं अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 6 ने एक वाद घोषणात्मक खातेदारी, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 497 गत हाल खसरा नम्बर 346, 350, 354, 355, 362 वाके ग्राम जसरापुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय वाद वादी डिक्री कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2012(प्रदर्श–4) में खसरा नम्बर 497 रकबा 11 बीघा 2 बिश्वा सीतला पुत्र कुशाला चमार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त सीतला की मृत्यु के बाद बनी जमाबन्दी संवत 2027–2030 में भूमि खसरा नम्बर 497 रकबा 11 बीघा 2 बिश्वा निहाल गुडदयाल पिता सीता कौम चमार सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हुई। वाद पत्र के खण्ड सं. 3 में दर्ज सीतला उर्फ सीताराम की वंशावली अनुसार उक्त निहाल गुडदयाल पिता सीता के अलावा मातूराम, मनीराम, बनारसी, मन्नी व सीमा पुत्र/पुत्रियां सीतला उर्फ सीताराम के उत्तराधिकारी थे। मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2) के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि गत खसरा नम्बर 497 के हाल खसरा नम्बर 346, 350, 354, 355, 362 निर्मित हए है। उक्त वादग्रस्त भूमि

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता संख्या 215 खसरा नम्बर क्रमशः 346, 350, 354, 355, 362 कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 है. में बनारसी पत्नी गुरूदयाल हिस्सा 1/2, महेन्द्र पुत्र निहाला हिस्सा 1/4, शेरसिंह पुत्र निहाला हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि पैतृक भूमि होने के आधार पर वादीगण का वाद विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 6 ने एक वाद घोषणात्मक खातेदारी, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 497 गत हाल खसरा नम्बर 346, 350, 354, 355, 362 वाके ग्राम जसरापुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय वाद वादी डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की दिनांक 24.01.2017 को जरिये वकील उपस्थिति हुई है। इसके उपरांत पत्रावली दिनांक 17.02.2021 तक अपीलान्ट के जवाब हेतु नियत रही है। दिनांक 17.02.2021 को अपीलान्ट का जवाब बंद कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के अनुसार तनकी कायम किये बिना पत्रावली सीधे साक्ष्य वादी में नियत कर विधिक प्रक्रिया की अवहेलना की है।

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2022 की आदेशिका में अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित होने का अंकन तो किया है

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

किन्तु इनके विरूद्ध विधिक प्रक्रिया अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही किये बिना वादी की साक्ष्य के आधार पर बहस सुनकर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2012(प्रदर्श–4) में खसरा नम्बर 497 रकबा 11 बीघा 2 बिश्वा सीतला पुत्र कुशाला चमार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त सीतला की मृत्यु के बाद बनी जमाबन्दी संवत 2027–2030 में भूमि खसरा नम्बर 497 रकबा 11 बीघा 2 बिश्वा निहाल गुडदयाल पिता सीता कौम चमार सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हुई। वाद पत्र के खण्ड सं. 3 में दर्ज सीतला उर्फ सीताराम की वंशावली अनुसार उक्त निहाल गुडदयाल पिता सीता के अलावा मातूराम, मनीराम, बनारसी, मन्नी व सीमा पुत्र/पुत्रियां सीतला उर्फ सीताराम के उत्तराधिकारी थे। मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2) के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि गत खसरा नम्बर 497 के हाल खसरा नम्बर 346, 350, 354, 355, 362 निर्मित हुए है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता संख्या 215 खसरा नम्बर क्रमशः 346, 350, 354, 355, 362 कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 है. में बनारसी पत्नी गुरूदयाल हिस्सा 1/2, महेन्द्र पुत्र निहाला हिस्सा 1/4, शेरसिंह पुत्र निहाला हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में राजस्व रिकार्ड का अंकन तो किया है किन्तु किसी प्रकार का विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2025 को उपस्थिति देवें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (झुन्झुनूं)

7

निर्णय आज दिनांक 15/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)